

- 1) ये की खरिका ग्राम में खता 313 और खेसरा 468 रकबा 8 कटा 1 धूर हमारे पूर्वज सवर्गीय श्री राम लगन सिंह पर सालो से रसीद काट रहा है और हमारा जमीन पर दाखिल कब्ज़ा वर्षो से है।
- 2) हमारे जमीन के पूरब तरफ श्री रसेन्द्र सिंह पिता सवर्गीय रामदेव सिंह का माकन है। इनके पास ग्रामीण सड़क से अपने घर तक जाने का कोई रास्ता नहीं था तो हमारे 468 प्लाट के खाली जमीन से होकर आते जाते थे।
- 3) वर्ष 2016 में सवर्गीय राम लगन सिंह के 5 पुत्रों में 468 जमीन का बेटवारा हुआ जिसमें सभी गाओं वाले भी शामिल थे। इस बेटवारे में पांचो फरिकों में आपसे सहमति से यह तय हुआ की 9 फ्रीट का रास्ता 468 प्लाट के उत्तर तरफ से पांचो फरिक अपने दूसरे जमीन में आने जाने के लिए एवं श्री रामदेव सिंह के परिजनों के आने जाने के लिए छोड़ेंगे। इस बात पर सभी लोग रामदेव सिंह के घर वाले भी सहमत थे और 1000 के स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर भी किया था।
- 4) पिछले वर्ष 2022 में जब पांचो फरिक अपने बेटवारे वाले जमीन में बाउंड्री इत्यादि करने आये तो रामदेव सिंह के घरवालों ने विरोध किया और कहा के उन्हें उत्तर तरफ से नहीं बल्कि 468 प्लाट के खाली जमीन के बीच से 10 फ्रीट का रास्ता चाहिए।
- 5) एक बार फिर पांचो फरिक ने आपसे सहमति से 10 फ्रीट का रास्ता आपने आने जाने के लिए एवं श्री रामदेव सिंह जी के परिजनों के आने जाने के लिए छोड़ा।
- 6) लेकिन अगस्त 2022 में सभी समझौता होने के बाद एवं रास्ता छोड़ने के बाद रामदेव सिंह के परिजनों ने फर्जी दस्तावेज लगा कर रस्ते को अपने नाम पर म्युटेशन करने के लिए अर्जी दे। हमारे विरोध के बाबजूद CO कार्यालय ने रस्ते के जमीन म्युटेशन कर दे और हमारा पक्ष नहीं सुना।
- 7) जब हमने सोनपुर और छपरा रजिस्ट्री ऑफिस में पता लगाया तो ये केवल संख्या 3476 दिनांक 20/06/1958 को किसे और के रजिस्ट्रेशन को दिखाता है। जिससे ये साबित होता है के ये रजिस्ट्री फर्जी है।